

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5056 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 08 / 2023

श्री सुरेन्द्र कुमार रिछारिया, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25.09.2023 से 28.10.2023 तक 34 दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। स्वीकृत अर्जित अवकाश पश्चात् 239 अर्जित अवकाश की पात्रता शेष है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही / -
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/5057 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 08 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री सुरेन्द्र कुमार रिछारिया सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हेमन्त जोशी)

Sam

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)